परिशिष्ट ३ U63

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (सम्पदा) विभाग

क्रमांकः एफ 1(4)साप्र/स/95 जयपुर, दिनांक 29 AUG 2016

अधिसूचना

राज्य सरकार राजस्थान नजूल भवन (लोक नीलाम द्वारा व्ययन) नियम 1971 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 2 के उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :–

1. किसी भी नजूल भवन या उसके किसी भाग का विक्रय या नीलाम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जावेगा,
   परन्तु जब नजूल भवन या उसके किसी भाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यथा निर्धारित आरक्षित मूल्य एक करोड़ रूपये से कम हो तो कलेक्टर ऐसे भवन या उसके किसी भाग का विक्रय या नीलामी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कर सकेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. मुख्य अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, कृपया इस परिपत्र को समस्त संबंधित अधिशाषी अभियंताओं के ध्यान मे लाया जावे।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. निदेशक, सम्पदा निदेशालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

(श्रुति भारद्वाज)
संयुक्त शासन सचिव